कायालयं नायबं तहसालदार		<u> यृत्त</u>	<u> </u>
प्रति,			
श्रीमान कलेक्टर महोदय,			
भू अभिलेख शाखा			
जिला			
विषय - पी एम किसान योजनान्तर्गत मृत	हितग्राही को मृत्यु	उपरांत प्राप्त राशि	रिफंड करने हेतु एस. बी.
आई. कलेक्ट पोर्टल अद्यतन कराने के सम्ब	न्ध में।		
उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि तहसील		अंतर्गत निम्नलि	खित हितग्राही के खाते में
मृत्यु पश्चात् प्राप्त पी.एम. किसान योजना र्व	जे राशि हितग्राही क <u>े</u>	परिजन रिफन्ड व	कराना चाहते है किन्तु एस
बी आई कलेक्ट पोर्टल पर हितग्राही की जा	नकारी अद्यतन न ह	ोने से रिफण्ड कर	ाने में असमर्थ है। जिसका
विवरण निम्नानुसार है –			
हितग्राही का नाम			
पी एम किसान आई डी			
ग्राम का नाम			
तहसील			
कुल प्राप्त किश्ते			
कुल प्राप्त राशि			
मृत्यु दिनांक			
मृत्यु के उपरांत प्राप्त किश्तों की संख्या			
मृत्यु के उपरांत प्राप्त राशि रुपयों में			
रिफन्ड योग्य राशि रुपयों में			

अतः महोदय जी से निवेदन है कि उपरोक्तानुसार जानकारी एस बी आई कलेक्ट पोर्टल पर अद्यतन करने का कष्ट करे।

नायब तहसीलदार